

प्रारूप 2 (नियम 11(4) देखिए)

आवेदन क्रमांक/स्कूल नम्बर : 141356/
88108

कर्तव्योत्तम जिला शिक्षा अधिकारी (गुजरात), मानवयोग

स्कूल : THE SCINDIA SCHOOL

मानवयोग का प्रबन्ध - नामीन मानवयोग

तिथि - 2022-23

Signature/पात्र Valid 04/04/2022

Digitally signed by
Date: 2022-04-10 17:44:20 +05:30
Reason: Issued by deo gwalior

प्रति

प्रबन्धक (THE SCINDIA SCHOOL)

नि. गुजरात और 31 वें पार्श्व बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम, 2009 की पारा 18 के प्रयोग के लिए नि. गुजरात और अनियायी बाल शिक्षा का अधिकारी नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मानवयोग प्रमाण पत्र।

महोदय : महोदय,

आपका आवेदन 09/02/2022 तथा इस संबंध में स्कूल से परवानगावाली पत्र व्यक्त होता / निरक्षण के सन्दर्भ में, मे आपकी स्कूल - THE SCINDIA SCHOOL डाक्स कोड - 2304051855 स्कूल नम्बर - PS 88108 को कक्ष छठवी से आठवीं तक के लिए दिनांक 01/04/2022 से 31/03/2025 तक कालावधि के लिए मानवयोग प्रदान करता है।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी -

- मानवयोग वित्त नहीं होगी तथा कक्ष 8 से आगे की मानवयोग सम्बद्धता को कोई बाधयोग किसी भी रूप में विवरित नहीं होगी
- स्कूल निःशिक्षक और अनियायी बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपर्युक्त 1) तथा नि. गुजरात और अनियायी बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (उपर्युक्त 2) के उपबंधों का पालन करेगा।

• स्कूल, अपनी उड़ानी की सीमा के बचित सम्मुख तथा कमज़ोर तरीके के बालवालों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता बालक स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालवालों को उस अनुपात में नि. गुजरात और अनियायी प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक अवधीन व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवाली सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किन्तु वह न्यूनतम परम्परा गतिशील के अधीन होगा बालों कि जहां स्कूल पूर्ण स्कूल (पी.स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहां अधिनियम की पारा 12 की उपरांत (1) वा (2) (क) से (ग) के उपबंध पी.स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होगी।

• योग 3 में दिए गए बालवालों के लिए स्कूल को अधिनियम की पारा 12(2) के अनुसार व्यय की परिपूर्ति के जाएगी तथा एसी परिपूर्ति प्राप्त न होने के लिए स्कूल को पृथक से बैंक याता उपलब्ध कराना होगा।

• योग 4(इ) स्कूल वालों और लैटिटेशन फीस के संबंध में नहीं कार्रवा तथा बालक या उसके पालक या असिमावक को साथ किसी अन्यीन प्रक्रिया को नहीं अनुपारण।

• स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा -

○ (क) आदृ के सबूत के आधार में;

○ (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के परापरात ऐसा प्रवेश चाहा गया है;

○ (ग) धर्म, जाति या गूढ़वंश, जनसम्बन्ध या इमान से किसी भी आधार पर।

• स्कूल सुनिश्चित करेगा कि -

○ किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालवालों को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा

○ किसी बालवालों को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रतिहित नहीं किया जाएगा;

○ प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालवालों को कोई बोडी परीक्षा उत्तीर्ण करने कि आवश्यकता नहीं होगी;

○ नियम 11 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्राप्ति वर्ष दिया जाएगा;

○ अधिनियम 1 के उपबंधों के अनुसार निःशक्तिविशेष आवश्यकता बाले बालवालों को समर्पित किया जाएगा

○ अधिनियम 1 की पारा 23(1) कि अधीन निपारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षाको कि भली कि जाएगी, बशर्ते कि बहुमान में कार्यरत तो शिक्षक इस अधिनियम के आधार होने पर न्यूनतम आहूत नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्राप्ति होने के दिनों के 5 अवृंदावन के अधिनियम में निपारित न्यूनतम आहूत प्राप्त करनी होगी

○ शिक्षकों ने अधिनियम की पारा 24(1) के अधीन डिनीरहस्य उपबंधों का पालन करना होगा

○ प्रावधान द्वारा कि गतिविधियों में शिक्षक व्यय भाग नहीं लिया जाएगा

• स्कूल समुचित प्रारंभिक द्वारा निपारित पाद्यघारी का अनुपारण करेगा

• अधिनियम की पारा 19 से विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा की अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा

• स्कूल द्वारा अधिनियम की पारा 19 से विनिहस्त स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधा निम्नानुसार पाई जाएगी -



Ajay Singh
Principal
The Scindia School
Fort, Gwalior-474008